संख्या- 6/2020/78/ सत्रह-म-2020-6-9 (157) /2017

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

389/ACS/IT/2020
213/VSIT(N)/2020
J.S
VS(N)
06/2/20
07-02-2020

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(नेहा प्रकाश)
विशेष सचिव
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उ.प्र. शासन।

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी,2020

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा मत्स्य विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आम जनमानस से सम्बंधित सेवाओं, जिनमे उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवाएं भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रूप में उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश में स्थापित जनपदों/मण्डलों में मैनुअल/ऑनलाइन रूप में प्रदान किया जा रहा हैं।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य विभाग की निम्नलिखित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0	मत्स्य विभाग दवारा प्रदान की जाने वाली सेवायें	कोड संख्या	सेवा का नाम
1	मत्स्य विभाग की योजनान्तर्गत अनुदान सहायता हेतु आवेदन/ पंजीकरण	15301	सम्बंधित योजनाओं में पंजीयन
2	मत्स्य विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु आवेदन	15302	सम्बंधित योजनाओं में पंजीयन
3	मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के आच्छादन हेतु आवेदन	15303	सम्बंधित योजनाओं में पंजीयन
4	किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक ऋण हेतु आवेदन	15304	सम्बंधित योजनाओं में पंजीयन

(बेसरी लाल)
संयुक्त सचिव
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राज्य समन्वयक, सीडेक

(1) मत्स्य विभाग की उक्त चयनित योजनाओं /सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त कामन सर्विस सेन्टर्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आम नागरिकों से शासकीय सेवा के प्रत्येक सफल ट्रान्जेक्शन के लिये कामन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवेदनकर्ता से आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज रु० 20.00 (रू0 बीस मात्र) सभी करों सहित लिया जायेगा तथा कामन सर्विस सेन्टर्स द्वारा तत्सम्बंधी प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को दी जायेगी।

(3) अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल www.fymis.upsdc.gov.in पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज देय नहीं होंगे।

(4) कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली मत्स्य विभाग की सेवाओं के सापेक्ष देय गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) अथवा अन्य शुल्क का वहन कामन सर्विस सेन्टर्स द्वारा स्वयं किया जायेगा। मत्स्य विभाग पर इसकी कोई देयता नहीं होगी।

(5) कामन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आनलाइन माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं /व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

(6) आवेदकों की जानकारी के लिए कामन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण,यूजर्स चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कामन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्रों (यथा-आनलाइन आवेदन की प्रिन्टेड प्रति, भुगतान की गयी फीस की ई-रसीद, कामन सर्विस सेन्टर्स द्वारा रू0 20/- की प्राप्ति रसीद) का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

3- ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से आये आवेदन विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किये जायेगें, जिस तरह से वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

4- कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(बी0एल0 मीना)
प्रमुख सचिव,

यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

संख्या 6/2020/78/ सत्रह-म-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

2- विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ०प्र० शासन।

4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0मत्स्य विकासनिगमलि0,लखनऊ।

5- निदेशक मत्स्य विभाग,उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

6- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ उत्तर प्रदेश।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।

8- समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य उ0प्र0।

9- समस्त अधिशाषी निदेशक/मुख्य कार्यकारीअधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।

10- एस०आई०ओ० योजना भवन, लखनऊ।

11- हेड एस०ई०एम०टी०, उत्तर प्रदेश।

12- क्षेत्रीय कार्यालय एन०आई०सी० लखनऊ।

13- लोक कार्यालय एन०आई०सी० लखनऊ।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।